Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी परवेश व सुलेमान प्रत्येक को हुआ 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2006 में अभियुक्त 1-परवेश पुत्र ओमपाल निवासी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली व 2- सुलेमान पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरूद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 228/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 03.05.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त परवेश व सुलेमान को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक- 03.05.2024

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता-

हरिप्रकाश उर्फ टीटू पुत्र प्रेमराज निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2-है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3-का0 1103 संजय कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।